(क) क्या देश की तटीय रेखा की सुरक्षा राष्ट्र की संपूर्ण सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है;

(ख) क्या तटीय सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए मछुवारों का उपयोग किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो मछुवारों को तटीय सुरक्षा से जुड़े सुरक्षा मुद्दों के बारे में जागरूक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ड.) क्या सरकार इस तरह के किसी कार्यक्रम पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कार्रवाई की जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)**

**(क) से (च) : तटीय सुरक्षा एक बहु-एजेंसी उत्तरदायित्व है, जिसमें निगरानी, आसूचना एकत्र करना, सूचना का प्रसार और वास्तविक सशस्त्र मुकाबला शामिल है। तथापि, तटीय सुरक्षा में शामिल प्रत्येक संगठन के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का अपना अलग-अलग चार्टर है। सम्पूर्ण तटरेखा पर तटीय सुरक्षा में सहभागी मुख्य एजेंसियों में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, तटीय समुद्री पुलिस, राज्य पुलिस, सीमा शुल्क, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), राज्य मत्स्यन, आसूचना ब्यूरो, पत्तन प्राधिकरण, आदि शामिल हैं।**

 **आसूचना एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए मछुआरों का प्रयोग ‘आँख और कान’ के रूप में किया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए तट पर अछुआरों की बहुलता वाले गांवों में समुदाय सम्पर्क कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित कर रहा है। समुदाय सम्पर्क कार्यक्रमों का उद्देश्य सुरक्षा की विद्यमान स्थिति के संबंध में मत्स्यन समुदाय को सुग्राही बनाना है। वर्ष 2009 से, भारतीय तटरक्षक द्वारा कुल 1317 समुदाय सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।**